अतिमहत्वपूर्ण/तत्काल/न्यायिक कार्य

पत्र संख्या–न्याय–रिट/ लखनऊ/2022–23/ 1289 /वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0),
वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0।

(वाद अनुभाग) लखनऊ :: दिनांक :: 12 जनवरी, 2023

विषय– **मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष समयान्तर्गत प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व पत्र संख्या–न्याय–रिट/2021–22/1581/वाणिज्य कर, दिनांक 14.03.2022 **(प्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष समयान्तर्गत प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिये गये थे तथा प्रकिया भी निर्देशित की गयी थी। उक्त में यह भी उल्लिखित था कि मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित सभी वादों की सूचना महाधिवक्ता, उ0प्र0 की वेबसाईट– http://courtcases.up.nic.in पर उपलब्ध है। उक्त वेबसाईट से विभागीय अधिकारियों द्वारा सभी लम्बित काउन्टर एफिडेविट का विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

कम्प्यूटर परिपत्र संख्या–0910038, दिनांक 30.07.2009 **(प्रति संलग्न)** द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी कि प्रस्तरवार आख्या/नैरेटिव के आलेख का अनुमोदन सम्बन्धित सम्भाग के ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) अथवा ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर जिससे संबंधित हो, के द्वारा अनुमोदन के उपरान्त ही मुख्य स्थायी अधिवक्ता/उच्च न्यायालय कार्यालय एवं मुख्यालय को प्रेषित किया जाय। इसी प्रकार कम्प्यूटर परिपत्र संख्या–0809046, दिनांक 08.07.2008 द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी कि सम्बन्धित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0/कारपोरेट सेल) का भी यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने अधिक्षेत्र से सम्बन्धित उपरोक्त वादों की समीक्षा एवं अनुश्रवण नियमित रूप से करें और यदि यह पाया जाता है कि किसी सम्भाग में बिना किसी उचित कारण के प्रतिशपथ पत्र योजित करने में विलम्ब किया गया है तो सम्बन्धित ज्वाइंट कमिश्नर का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अनेक परिपत्रों द्वारा निर्देशित किये जाने के बावजूद भी मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष अनेक मामले प्रतिशपथ पत्र दायर किये जाने हेतु लम्बित है। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, प्रयागराज के पत्रांक 3686 दिनांक 07.01.2023 से उपलब्ध कराये गये ऑकड़ों के अनुसार वर्तमान में 106 मामलों में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं हैं। उक्त की सूची संलग्न है। इसी प्रकार महाधिवक्ता, उ0प्र0 की वेबसाइट– http://courtcases.up.nic.in पर दिनांक 09.01.2023 को उपलब्ध ऑकड़ों के अनुसार वाणिज्यिक कर के कॉलम में इलाहाबाद, मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष 107 तथा खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष 30 मामले प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु लम्बित हैं। इसी प्रकार व्यापार कर में क्रमशः 29 एवं 03 मामले तथा राज्य कर में क्रमशः 08 एवं 08 मामले इलाहाबाद, मा0 उच्च न्यायालय एवं खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु लम्बित हैं। इन समस्त मामलों की सूची भी जिलावार उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त पेंडेंसी से स्पष्ट है कि अधिकारियों द्वारा वर्तमान

में शीघ्रता से प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया जा रहा है तथा उच्च न्यायालय कार्य द्वारा उपरोक्त मामलों की नवीनतम स्थिति तत्काल महाधिवक्ता, उ0प्र0 की वेबसाइट पर अपडेट भी नहीं की जा रही है। अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त ज्वाइंट कमिश्नर तत्काल अपने क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित समस्त लम्बित मामलों में सूची से परीक्षण कर तत्काल नियमानुसार शपथ पत्र दाखिल कराने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे। मुख्यालय/शासन को अनुमोदन हेतु नैरेटिव/प्रस्तरवार आख्या भेजते समय ज्वाइंट कमिश्नर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रतिवादियों का अनुमोदन स्वरूप हस्ताक्षर, उनके नाम तथा मुहर सहित नैरेटिव/प्रस्तरवार आख्या पर अंकित की जाय तथा उक्त आख्या हिन्दी में 03 प्रतियों में हो एवं रिट की 02 प्रतियॉ भी प्रस्ताव के साथ संलग्न हों। यदि किसी अधिकारी द्वारा उक्त कार्य में लापरवाही की जाती है तो उपरोक्त के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव तत्काल मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। शासन द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने सम्बन्धी मामलों की समीक्षा लगातार की जाती है। अतः किसी मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने में विलम्ब पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के साथ—साथ ज्वाइंट कमिश्नर का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। उच्च न्यायालय कार्य, प्रयागराज/लखनऊ के अधिकारी भी मा0 महाधिवक्ता, उ0प्र0 की वेबसाइट पर पेंडिंग केसों की अद्यतन स्थिति अपडेट कराना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया उक्त निर्देशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर के अनुमोदनोंपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(गीता सिंह)
एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, राज्य कर अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ।
2. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड—1 (उ0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, प्रयागराज एवं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड—2 (उ0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड—1, वाणिज्य कर, उ0प्र0, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर समस्त अधिकारियों के सूचनार्थ प्रकाशित करने हेतु।

12.1.2023

एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।